(101)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/1663 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–5–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 49/अपील/2016–17.

गीताबाई पत्नी स्व0श्री मनफूल परते
निवासी वार्ड नम्बर 7 डायवर्सन रोड राजीव गांधी कॉलोनी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

प्रमोद ककोडिया आ0जयसिंह ककोडिया
निवासी ग्राम धोखेडा तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद

..... अनावेदक

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री संजय महतो एवं कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 40 पर दिनांक 3–3–1996 को ग्राम धोखेडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 263 रकबा 0.914 हैक्टेयर पर आवेदिका के नाम नामान्तरण किया गया ।

तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–11–15 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–5–17 को आदेश पारित अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि मृतक भूमिस्वामी जयसिंह द्वारा शादी में आवेदिका को दी गई थी और आवेदिका मृतक भूमिस्वामी जयसिंह की पुत्री भी है इसलिये नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक है जिसे निरस्त करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण पंजी पर जयसिंह का अँगूठा भी लगा है । उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संशोधन पंजी पर नामान्तरण आदेश पारित करने में इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है । बिना पंजीकृत दस्तावेज के भूमि का अन्तरण नहीं हो सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार न्यायालय का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की की जाये ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका गीताबाई ने स्वयं माना है कि वह जयसिंह की पुत्री नहीं थी, क्योंकि जयसिंह के हक की भूमि को गीताबाई को विवाह के दौरान देने का उल्लेख कर दर्ज किया गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि के और भी हितबद्ध पक्षकार है जिनकी नामान्तरण के समय सहमति नहीं ली गई है। इस प्रकार किया गया नामान्तरण संशोधन विधि विपरीत है । अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत आदेश पारित कर संशोधन कमांक 40 दिनांक 25–10–1994 प्रमाणीकरण दिनांक 3–3–1996 अवैधानिक होने से निरस्त किया गया है, जो विधिवत् है । अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार आवेदिका द्वारा इस निगरानी में प्रस्तुत नहीं किया है । इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा 2005 आरएन 178 अमरीबाई विरूद्ध मॉगीलाल में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

धारा – 50 – निचले दोनों न्यायालयों के समरूप निष्कर्ष – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.